# कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
# KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

पत्रांक– डी0आई0सी0/के0यू0/2018/122 दिनांक: 01–09–2018

सेवा में,

निदेशक
डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल/
एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा।

प्राचार्य/निदेशक
समस्त राजकीय महाविद्यालय
(सम्बद्ध कुमाऊँ विश्वविद्यालय)।

**विषय – आगामी छात्रसंघ चुनाव–2018–19 में सांस्कृतिक सचिव पद से सम्बन्धित।**

महोदय,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय के आगामी छात्रसंघ/छात्र परिषद् (महासंघ) चुनाव 2018–19 के संदर्भ में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक – डी0आई0सी0/के0यू0/2018/120, दिनांक 31–08–2018 के बिन्दु संख्या 02 को निरस्त किया जाता है। सांस्कृतिक सचिव पद हेतु निम्न संशोधन किया जाता है –

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं0 – 1274/XXIV(4)/2018-25(11)/2017, दिनांक 29 अगस्त, 2018 के अनुक्रम में कुमाऊँ विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2018–2019 में विश्वविद्यालय के अधिकांश परिसरों/महाविद्यालयों में वर्तमान वर्ष में प्रथम बार सांस्कृतिक सचिव पद प्रत्याशी हेतु पृथक से मतदान की प्रक्रिया करायी जा रही है। सांस्कृतिक सचिव पद हेतु प्रत्याशी को विश्वविद्यालय छात्रसंघ संविधान में वर्णित सामान्य अर्हताओं के अतिरिक्त निम्न विशिष्ट अर्हताऐं धारित होनी अनिवार्य है –

**स्नातकोत्तर संस्थाओं हेतु (चाहे एक ही विषय में स्नातकोत्तर हो) –**

प्रत्याशी स्नातक द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रत्याशी उसी शिक्षण संस्था में गत वर्ष संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भागीदारी करने का प्रमाण–पत्र धारक होना चाहिए।

**स्नातक स्तर की संस्थाओं हेतु (जिनमें किसी भी विषय में स्नातकोत्तर नहीं है) –**

प्रत्याशी स्नातक द्वितीय वर्ष (तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर) अथवा तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) में अध्ययनरत होना चाहिए। प्रत्याशी गत शैक्षिक सत्र में उसी संस्था में संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भागीदारी करने का प्रमाण–पत्र धारक होना चाहिए।

सत्र 2019–2020 हेतु सांस्कृतिक सचिव पद हेतु पात्रताऐं आगामी सत्र में पृथक से निर्धारित कर छात्रसंघ संविधान में समाहित की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ही आगामी छात्रसंघ चुनाव 2018–19 की प्रक्रिया में सांस्कृतिक सचिव पद पर भी मतदान की प्रक्रिया को सम्पादित किया जाना सुनिश्चित कर उक्त कार्य को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करने का कष्ट करे।

भवदीय,
01/9/18
निदेशक, डी0आई0सी0

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य निजी सचिव–मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, गौलापार (हल्द्वानी) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने अधीनस्थ राजकीय महाविद्यालयों को परिपालनार्थ प्रेषित।
6. निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।

01/9/18
निदेशक, डी0आई0सी0